आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 277/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

ए यू स्माल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्वनाम ए यू फाइनेन्सर (इंडिया) लिमिटेड) पता :– 19–A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड,जयपुर।

प्रार्थी

वित्तीय बैंक

बनाम

1. श्री आश्रम प्रसाद .योगी पुत्र पूरणमल योगी,
   पता : जोगियों की ढाणी, डांगरवाडा वाया आंधी, तहसील जमवारामगढ, जयपुर।
2. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी आश्रम प्रसाद योगी,
   पता : जोगियों की ढाणी, डांगरवाडा वाया आंधी, तहसील जमवारामगढ, जयपुर।
   एवं पट्टा नम्बर 12, मिसल नम्बर 44, संकल्प नम्बर 72/5.6.2005 ग्राम पचांयत डांगरवाडा, तहसील जमवारामगढ, जयपुर।
3. श्री कमलेश योगी पुत्र नाथूराम योगी,
   पता : जोगियों की ढाणी, डांगरवाडा वाया आंधी, तहसील जमवारामगढ, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002

उपस्थित :– श्री राकेश अजमेरा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक 19.07.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 07.11.2015 को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती पुष्पा देवी के स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा नम्बर 12, मिसल नम्बर 44, संकल्प नम्बर 72/5.6.2005 ग्राम पचांयत डांगरवाडा, तहसील जमवारामगढ, जयपुर क्षेत्रफल 200 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल रूपये 7,50,000/– की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 03.06.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट
कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर वर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 सितम्बर 2017 का सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान बैंक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 7,50,000/- रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 6,26,411/- रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 03.06.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

5. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती पुष्पा देवी के स्वामित्व की सम्पति पट्टा नम्बर 12, मिसल नम्बर 44, संकल्प नम्बर 72/5.6.2005 ग्राम पचांयत डांगरवाडा, तहसील जमवारामगढ, जयपुर क्षेत्रफल 200 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

7. आदेश आज दिनांक 19.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर